सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा

महिला एवं बाल कल्याण समिति

पहला प्रतिवेदन

दिनांक 27 मार्च, 2008 को प्रस्तुत

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
महिला एवं बाल कल्याण समिति

समिति का गठन :

1.	डॉ. किरण वालिया	सभापति
2.	श्रीमती अंजलि राय	सदस्य
3.	श्रीमती बरखा सिंह	सदस्य
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सदस्य
5.	श्री अनिल भारद्वाज	सदस्य
6.	श्रीमती मीरा भारद्वाज	सदस्य
7.	श्री ए दयानंद चंद्रीला ए	सदस्य
8.	डॉ. हर्षवर्धन	सदस्य
9.	श्री सुशील चौधरी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ राव	सचिव
2.	श्री जी.एस.रावत	संयुक्त सचिव
3.	श्री अज़ीज़ुददीन अहमद	उप सचिव
4.	श्री जे.बी.धानिया	उप सचिव
5.	श्री लाल मणि	उप सचिव

प्रस्तावना

मैं, किरण वालिया, सभापति, महिला एवं बाल कल्याण समिति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर इसका प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हूँ।

समिति विधान सभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समिति की बैठकों के लिए पृष्ठभौमिक सामग्री उपलब्ध कराने एवं इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए प्रशंसा करती है। समिति की बैठकों में उपस्थित होकर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये विभागीय अधिकारियों की भी समिति प्रशंसा करती है।

Kiran Walia

(डॉ. किरण वालिया)
सभापति
महिला एवं बाल कल्याण समिति

महिला एव बाल कल्याण समिति का प्रतिवेदन

समिति ने समाज कल्याण के विभिन्न मुददों के अलावा इस बात पर चिंता व्यक्त की कि दिल्ली में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात 827 से 837 के बीच में रह गया है।

समिति का मत है कि इस गंभीर समस्या का निदान करना अति आवश्यक है ताकि लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोका जा सके। समिति ने राय दी कि **राज्य स्तर और जिला स्तर पर गठित सलाहकार समितियों की समय-समय पर बैठक आयोजित करके पूरा ब्यौरा देना चाहिये** कि इस संबंध में राज्य में क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं। इन समितियों को आपस में तालमेल बैठाकर रखना चाहिए। समिति का यह भी मत है कि इन **सलाहकार समितियों की महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए।**

समिति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी की निगरानी कमजोर होने की वजह से लड़कियों की औसत में कमी आ रही है। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग होम के डाक्टरों के आपसी तालमेल, पुलिस कार्रवाई में कमी और जनता के जागरूक न होने के कारण समस्या गंभीर होती जा रही है। इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने पर ही बेहतर परिणाम की आशा की जा सकती है। अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स इत्यादि में प्रयोग होने वाली आधुनिक मशीनें जहाँ चिकित्सा पद्धति के लिए लाभप्रद

साबित हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन मशीनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। अत: इन मशीनों के प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखना जनहित में आवश्यक है। हर जिले में एक चिकित्सा अधिकारी होता है जिनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में जो अस्पताल, नर्सिंग होम्स हैं, उनमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों के जन्म का प्रतिशत कम क्यों है? उसके लिए इन जगहों पर भरे जाने वाले फॉर्मों का बारीकी से अध्ययन करना परम आवश्यक है।

समिति को बताया गया कि दिल्ली में पुरुष एवं महिला का अनुपात दिल्ली में बाहर से आये पुरुष कार्यकर्ताओं के कारण है, जो अधिकतर बिहार, हरियाणा व राजस्थान से आते हैं। दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक जन्म (Natural Birth) से अधिक बाहर से आये हुए लोगों के कारण है। योजना विभाग द्वारा दर्शाये गए आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2002 में दिल्ली की जनसंख्या 4 लाख 33 हजार बढ़ी जिसमें 2 लाख 18 हजार बाहर से आये हुए लोगों के कारण थी। यह अनुपात लगभग **1 : 1** का है। Institute of Human Development के एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में लगभग 46 हजार गृहविहीन (Homeless Person) हैं जिसमें से 85% पुरुष हैं जिनकी आयु 8 से 14 वर्ष के बीच की है। पुरुष - महिला के अनुपात में असंतुलन बाहर से आये 8 से 14 वर्ष के बालकों की वजह से भी है, ना कि केवल महिला भ्रूण हत्या की वजह से।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि **महिलाओं को जागरूक करायें कि बालिका का होना कोई बोझ नहीं है बल्कि वो समाज के लिए पूँजी हैं।**

समिति ने विभागीय प्रतिनिधियों से यह भी जानकारी ली कि भ्रूण हत्या के मामले में कितने नर्सिंग होम के खिलाफ कार्यवाही की गई, कितने नर्सिंग होम सील किए और कितनी मशीनें सील हुई । **समिति ने विभागीय प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि विभाग के संबंधित अधिकारी नर्सिंग होम, अस्पतालों तथा प्रसूति गृहों पर लगातार निगरानी रखें जिससे भ्रूण जांच तथा भ्रूण हत्या को रोका जा सके।**

समिति को यह भी बताया कि अब केन्द्र सरकार के स्थान पर राज्य की अपनी राज्य निरीक्षण निगरानी समिति (State Inspection Monitoring Committee) बन गई है जिसके सदस्य निदेशालय के अधिकारी होंगे, जिले के अधिकारी होंगे और एन.जी.ओज होंगे।

समिति ने यह भी जानकारी प्राप्त की कि कितने केस रजिस्टर्ड हुए, कितने केस कोर्ट में गए और उनका क्या परिणाम निकला? अभी कानून को अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है और यह केवल कागजों तक ही सीमित है

समिति ने ये भी सुझाव दिए कि लोगों में इस समस्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए महिला संगठन, महिला आयोग, स्त्री शक्ति कैम्प्स तथा स्कूल, कॉलेजों के बच्चों की सहायता ली जानी चाहिये ताकि इनके सहयोग से इस समस्या से निदान दिलाया जा सके।

समिति का स्पष्ट मत है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करना अति आवश्यक है। तभी राजधानी में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं।

समिति ने यह सुझाव दिया कि मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर उपायुक्त (राजस्व) को यह कार्य करने के अधिकार दिये जायें। । ऐसे निर्देश केन्द्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को दे दिए गए हैं, ताकि जागरूकता बढाने के साथ-साथ कानून का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके।

Kiran Walia

डॉ. (श्रीमती) किरण वालिया
सभापति
महिला तथा बाल कल्याण समिति

दिल्ली,
मार्च, 2008